

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2014/वैशाख 15, 1936
No. 238] NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2014/VAISAKHA 15, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 मई, 2014

सा.का.नि. 310(अ).— ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात् ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इन प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

किसी भी आक्षेप या सुझाव पर, जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2014 है ।
2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में, अनुसूची ट में, “छूट का विस्तार और शर्तें” शीर्षक के अधीन क्र.सं 35 के सामने “प्रारूप 20सी में” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एक्स.-11014/9/2013-डीएफक्यूसी]

अरुण के.पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच (1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि.153(अ), तारीख 05/03/2014 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department Of Health And Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2014

G.S.R. 310(E).—The following draft rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and the notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi- 110001.

Draft rules

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Seventh Amendment) Rules, 2014.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Schedule K, against serial number 35, under the heading "Extent and conditions of exemption," the words, figures and letter "in Form 20-C" shall be omitted:-

[F.No. X. 11014/9/2013-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. F. 28-10/45-H (I), dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R. 153(E), dated the 5th March, 2014.